विभाग का नाम: म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना)

- **योजना का नाम:** टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना)

- **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- **योजना का क्रियान्वयन:** टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा

- **पात्रता:**
  - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
  - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  - आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
  - आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
  - किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
  - यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
  - सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
  - योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

- **वित्तीय सहायता:**
  - सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए
  - ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा

मध्यप्रदेश शासन

NO.1 मध्यप्रदेश

जनजातीय युवाओं को देने रोजगार संकल्पित है मध्यप्रदेश सरकार

3 नई योजनाओं की शुरुआत

- भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना

सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी

जनजातीय महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

भाजपा सरकार

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
के तहत मध्य प्रदेश की
5 लाख महिला उद्यमियों को 500 करोड़ रुपये
की वित्तीय सहायता
प्राप्त हुई

भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

110. अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में ₹ 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश शासन

स्व-रोजगार से खुलेगी
अनुसूचित जनजाति के विकास की राह

कैबिनेट के निर्णय
06 सितम्बर 2022

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी

- स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए मिलेगा **10 हजार से 1 लाख रुपये तक** का बैंक ऋण

  (अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो)

- 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान और बैंक ऋण की गारंटी भी मिलेगी